

परीक्षा फॉर्म आवेदन तिथि : 15 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक



संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) INFORMATION BROCHURE 2026

ग्रुप : A इंजीनियरिंग	ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (CBT)	15 मई, 2026 से 22 मई, 2026
ग्रुप : E फार्मसी		
ग्रुप : B,C,D,F,G,H,I,L		
ग्रुप : K1 to K8		

ऑनलाइन फॉर्म हेतु वेबसाइट : www.jeecup.admissions.nic.in

ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि – 30 अप्रैल, 2026

समय-सारिणी
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)-2026
(परीक्षा तिथि 15 मई 2026 से 22 मई 2026)

क्र०	प्रक्रिया	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	प्रवेश परीक्षा-2026 के ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति :		
	(i) प्रारम्भ	15.01.2026	30.04.2026
	(ii) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सुधार	26.04.2026	30.04.2026
	(iii) परीक्षा प्रवेश-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराना	08.05.2026	
2.	परीक्षाओं का आयोजन/तिथियाँ :		
	ग्रुप-A (ऑनलाइन)	15.05.2026	22.05.2026
	ग्रुप-E (ऑनलाइन)		
	ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I,L (ऑनलाइन)		
	ग्रुप-K1 to K8 (ऑनलाइन)		
3.	परीक्षाफल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :		
	(i) संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 के परीक्षाफल की घोषणा व नेट पर उपलब्ध कराना	30.05.2026	https://jeecup.admissions.nic.in
4.	काउन्सिलिंग/आवंटन प्रक्रिया :		
	(i) ऑनलाइन काउन्सिलिंग (काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त कार्य) (विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर 01.06.2026 से उपलब्ध रहेगा)	विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।	
5.	समस्त काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अन्तिम तिथि :	31.07.2026	

नोट : उपरोक्त समस्त तिथियाँ प्रस्तावित हैं, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर जारी निर्देश देखते रहें।

सचिव ,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परीक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा शुल्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश	2-3
2.	प्रवेश वरीयता, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रमों की अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय एवं परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत सम्बन्धी विवरण (सारणी-1)	4-7
3.	आई0टी0आई0/समकक्ष उत्तीर्ण छात्रों के द्वितीय वर्ष (ग्रुप-K) में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों के नाम, प्रवेश अर्हता (सारणी-2)	7-8
4.	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सुविधाएं एवं आयु सम्बन्धी विवरण	8-9
5.	शिक्षण शुल्क का विवरण एवं एक से अधिक बार भुगतान की स्थिति में धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया	10
6.	आवेदन हेतु सम्पूर्ण विवरण एवं आरक्षण सम्बन्धी विवरण	10-12
7.	अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण निर्देश	13
8.	प्रश्न एवं उत्तर कुंजी पर आपत्ति की प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षाफल एवं योग्यता सूची	14-15
9.	सीट आवंटन हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया	15
10.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों (Working Professional) के लिए प्रवेश हेतु नीति	15-17
11.	आरक्षण प्रमाण पत्रों के प्रारूप	17-22

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) – 2026

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 हेतु आवेदन परिषद की वेबसाइट
<https://jeecup.admissions.nic.in> पर आनलाइन किया जायेगा।

परीक्षा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम ग्रुप	परीक्षा दिवस एवं तिथि	परीक्षा समय
ग्रुप-A	15 से 22 मई, 2026 में प्रस्तावित	अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।
ग्रुप-E1 & E2		
ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I,K1- K8,L		

नोट : अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ग्रुप A, B,C,D, E1, E2,F,G,H,I, K1- K8 तथा L हेतु होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक में आवेदन कर सकता है। ग्रुप A, ग्रुप E के साथ अन्य ग्रुपों (ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I,K1- K8,L)में केवल एक ही ग्रुप हेतु आवेदन करें। अभ्यर्थी अधिकतम तीन आवेदन ही कर सकता है।

01. आवेदन शुल्क :-
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग – रू0 300/- प्रति आवेदन
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति – रू0 200/- प्रति आवेदन
उपरोक्त शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं UPI से ऑनलाइन जमा किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय बैंक/सेवाप्रदाता द्वारा लिये जाने वाला शुल्क इसमें शामिल नहीं है।
02. वर्ष-2026 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) – 2026 में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में काउन्सिलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (अंक पत्र/प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना होगा।
03. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित “उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) – 2026” में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से आबद्ध होंगे, जो विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।
04. इस विवरण-पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ हैं। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
05. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणोंवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश की सभी औपचारिकतायें पूर्ण

कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद/प्रवेशित संस्था पर नहीं होगा तथा वह इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा के आधार पर अगले वर्ष प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।

06. इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
07. संस्थाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्बन्धित संस्थाओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
08. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड, पाठ्यक्रम गुप, प्रवेश क्षमता परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रवेश क्षमता तथा संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार होगा।
09. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)–2026 के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें परिषद की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जायेंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न सूचनाओं/निर्देशों हेतु परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
10. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित एवं काउन्सिलिंग द्वारा सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना आवश्यक होगा।
11. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने अथवा उसे पुनः कराने का अधिकार रहेगा।

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) –2026

1- प्रस्तावना :

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)–2026 का आयोजन “संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ” के तत्वावधान में होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जायेगी एवं आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये काउन्सिलिंग के द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं विस्तृत निर्देश परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात समाचार-पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किये जायेंगे। प्रवेश प्रक्रिया एवं काउन्सिलिंग से प्रवेश प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 से निर्गत यथा संशोधित शासनादेशों के अधीन होगी।

2- पाठ्यक्रम :

उ0प्र0 में चल रहे कुल 147 राजकीय, 18 अनुदानित, 07 अन्य विभागों द्वारा संचालित संस्थाएँ, 29 पी0पी0पी0 एवं 2262 निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के नाम तथा कोड संख्या, विभिन्न पाठ्यक्रम गुणों के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय पाली में चल रहे 80 पाठ्यक्रमों के नाम एवं पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु उक्त संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अन्तिमत् नहीं हैं, संस्था/पाठ्यक्रमों की संख्या में ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की मान्यता/सम्बद्धता के अनुसार परिवर्तन सम्भावित है।

3- प्रवेश वरीयता :

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो। वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद, जिसमें अभ्यर्थी के माता-पिता मूल/स्थायी निवासरत हैं, के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप **प्रमाण-पत्र संख्या-7** पर प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने के लिए उ0प्र0 के वर्तमान जनपद, जिसमें अभ्यर्थी निवासरत है, के जिलाधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर **प्रमाण पत्र संख्या-6** प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है। वर्ष-2026 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में प्रवेश के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर इसका उल्लेख करें।

4- प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :

निम्न सारणी में दिये गये पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी। कृपया सारणी-1, 2 का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित निर्धारित अर्हता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं :-

सारणी-1

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत
A	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	खण्ड-एक-गणित-50% खण्ड-दो-भौतिक तथा रसायन-50%
B	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	खण्ड-एक-गणित-50% खण्ड-दो-भौतिक तथा रसायन-50%
C	1. फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेंट टेक्नोलॉजी	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन-20% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी-50% जनरल अवेयरनेस-30%
	2. होम साइंस	दो वर्षीय	तदैव	
	3. टेक्सटाइल डिजाइन	तीन वर्षीय	तदैव	
	4. टेक्सटाइल डिजाइन (प्रिंटिंग)	तीन वर्षीय	तदैव	
D	1. माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन-30% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी -35% न्यूमेरिकल एबिलिटी-10% जनरल अवेयरनेस-25%
	2. लाइब्रेरी एण्ड इनफारमेशन साइंस	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण	
E	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट(10+2) परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित / जीव विज्ञान (वनस्पति और जन्तु विज्ञान) विषयों में उत्तीर्ण।	खण्ड-एक-फिजिक्स, केमेस्ट्री-50% खण्ड-दो-बायोलोजी या गणित-50%
F	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नॉलोजी (टिशू कल्चर)	एक वर्षीय	बी.एस.सी., बायोलोजी, केमेस्ट्री / बायोकेमेस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण।	1. रसायन शास्त्र-50% 2. जन्तु विज्ञान-25% 3. वनस्पति शास्त्र-25%
G	1. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	स्नातक उपाधि	अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सन -20% न्यूमेरिकल एबिलिटी -15% रीजनिंग -30% जनरल इन्टेलीजेन्सी -20% जनरल अवेयरनेस -15%
	2. पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	3. पी.जी. डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	4. पी.जी. डिप्लोमा इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर	एक वर्षीय	-तदैव-	
	5. पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	6. पी.जी. डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	एक वर्षीय	-तदैव-	
	7. पी.जी. डिप्लोमा इन	एक वर्षीय	-तदैव-	

	टेक्सटाइल डिजाइन			
	8. पी.जी. डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी	एक वर्षीय		—तदैव—
	9. पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन	दो वर्षीय		—तदैव—
	10. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	एक वर्षीय		—तदैव—
	11. पी.जी. डिप्लोमा इन वेब डिजाईनिंग	एक वर्षीय		—तदैव—
	12. पी.जी. डिप्लोमा इन एकाउण्टेंसी (विद कम्प्यूटराईज्ड एकाउन्ट एण्ड टैक्सेशन)	एक वर्षीय		—तदैव—
	13. पी.जी. डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेन्ट	एक वर्षीय		—तदैव—
	14. पी.जी. डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी	एक वर्षीय		—तदैव—
	15. पी.जी. डिप्लोमा इन इन्टरनेट ऑफ थिंग्स	एक वर्षीय		—तदैव—
	16. पी.जी. डिप्लोमा इन डाटा साइंस एण्ड मशीन लर्निंग	एक वर्षीय		—तदैव—
	17. पी.जी. डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी	एक वर्षीय		—तदैव—
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	तीन वर्षीय	12वीं कक्षा न्यूनतम् 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	रीजनिंग एण्ड लाजिकल डिस्कशन —25% न्यूमेरिकल एबेलिटी एण्ड साइंटिफिक एप्टीच्यूड —25% अंग्रेजी —25% सामान्य ज्ञान —25%
I	1. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग	तीन वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% (एग्रीगेट) अंक अनिवार्य। (ग्रुप-I हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे) अभ्यर्थी की वर्णान्धता (Colour blindness) से मुक्त होना अनिवार्य है।	खण्ड—एक—फिजिक्स, केमेस्ट्री —50% खण्ड—दो—गणित —50%
	2. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजी0 (एवियोनिक्स)	तीन वर्षीय		
	3. एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजी0 (हेलीकाप्टर एण्ड पावरप्लान्ड्स)	तीन वर्षीय		
K	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश (लेटरल इन्ट्री)	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट विज्ञान अथवा इन्टरमीडिएट विज्ञान / व्यासायिक / प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त वि शेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण	खण्ड—एक : हाईस्कूल स्तर की गणित, भौतिकी एव रसायन —40% खण्ड—दो : इंजीनियरिंग— 60% (सिविल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक्स / मैकेनिकल / आई.टी. / प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी / फैशन डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से सम्बन्धित 60 प्रश्नों के सात अलग अलग उपखण्डों में से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से सम्बन्धित उपखण्ड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखण्ड को हल करेंगे। (देखें सारणी-2))
L	पोस्ट डिप्लोमा इन इण्डस्ट्रियल सेपटी विशेष नोट— L ग्रुप के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित	एक वर्षीय	(1) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 02 वर्ष का अनुभव अथवा	खण्ड—एक : हाईस्कूल स्तर की भौतिकी विज्ञान—20% एवं रसायन विज्ञान—20% खण्ड—दो : सामान्य इंजीनियरिंग— 20% एवं सुरक्षा (सेपटी)

अर्हता एवं 02 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हैं, वही आवेदन करें।	(2) बी0एस0सी0 में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान में 02 वर्ष का अनुभव अथवा (3) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में BE/B.Tech अथवा समकक्ष के साथ 02 वर्ष का अनुभव।
---	--

गुप-क (लेटरल इन्ट्री) में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं प्रवेश अर्हता

डिप्लोमा के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु गुप-क(लेटरल इन्ट्री) के आवेदनकर्ता कृपया निम्न सारणी का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित निर्धारित प्रवेश अर्हता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं :-

सारणी-2

क्र० सं०	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	प्रवेश अर्हता
		हाईस्कूल के साथ निम्नांकित आई0टी0आई0 ट्रेड उत्तीर्ण अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक/प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण
1	2	3
(1)	1. सिविल इंजी0 2. सिविल इंजी0 (इनवायरमेन्ट एण्ड पोलूशन कन्ट्रोल) 3. सिविल एण्ड इनवायरमेन्ट इंजीनियरिंग	1. सी0ओ0ई0 (कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड वुड वर्किंग सेक्टर) 2. ड्रापटस्मैन (सिविल) 3. पेन्टर (जनरल) (कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे)
(2)	1. इलेक्ट्रिकल इंजी0 2. इलेक्ट्रिकल इंजी0 (इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल) 3. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 4. रिन्यूवेबिल एनर्जी	1. इलेक्ट्रीशियन 2. इलेक्ट्रोप्लेटर 3. वायरमैन (कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे) 4. इलेक्ट्रीशियन (पावर डिस्ट्रीब्यूशन) 5. सी0ओ0ई0 (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)
(3)	1. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 2. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 (मार्डन कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स एप्लाइन्सेज) 3. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 (माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स) 4. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 (एडवान्स माइक्रो प्रोसेसर एण्ड इन्टरफेस) 5. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	1. इलेक्ट्रानिक मैकेनिक 2. टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम 3. रेडियो/टीवी मैकेनिक 4. मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लॉयसिस् (पूर्व नाम मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स) 5. मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स 6. इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक 7. रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 8. सी0ओ0ई0 (इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर) 9. मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स
(4)	1. मैकेनिकल इंजी0 (आटोमोबाइल) 2. मैकेनिकल इंजी0 (प्रोडक्शन) 3. मैकेनिकल इंजी0 (मेन्टीनेंस) 4. मैकेनिकल इंजी0 (रेफ्रिजरेशन एण्ड एयरकन्डीशनिंग) 5. मैकेनिकल इंजी0 (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) 6. मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1. फिटर 2. मशीनिष्ट 3. मशीनिष्ट (ग्राइण्डर) 4. टर्नर 5. मैकेनिक (मोटर व्हीकल) 6. मैकेनिक रेफरीजरेशन एण्डएयर कन्डीशनिंग 7. मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी 8. ड्रापटस्मैन (मैकेनिकल) 9. टूल एण्ड डाई मेकर (डाईस् एण्ड मोल्डस्) 10. टूल एण्ड डाई मेकर (प्रेस टूल्स्, जिग्स् एण्ड फिक्चर्स) 11. मैकेनिक मशीन टूल्स् मेंटीनेंस 12. लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकेनिक 13. सी0ओ0ई0 (प्रोडक्शन एण्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर) 14. सी0ओ0ई0 (ऑटोमोबाइल सेक्टर) 15. सी0ओ0ई0 (फैबरीकेशन-फिटिंग एण्ड वेल्डिंग सेक्टर) 16. सी0ओ0ई0 (आर0ए0सी0 सेक्टर)

(5)	1. इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	1. इन्फार्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टीनेन्स (पूर्व नाम इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टीनेन्स) 2. इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी 3. सी0ओ0ई0 (आई0टी0 सेक्टर)
(6)	प्रिंटिंग टेक्नॉलोजी	---
(7)	1. फैशन डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नॉलोजी 2. ऐपरैल डिजाइन एण्ड फैशन टेक्नोलॉजी 3. कॉस्ट्यूम डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी 4. क्राफ्ट टेक्नोलॉजी	---
(8)	1. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 2. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग	1. वीविंग टेक्नीशियन 2. टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन
नोट : लेटरल इन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।		

ग्रुप-क (लेटरल इन्ट्री) की प्रवेश क्षमता :

लेटरल इन्ट्री हेतु उपरोक्त सारणी के कालम-2 की प्रवेश क्षमता राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत है। संस्था एवं पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों का पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.(1) आयु :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा 01 जुलाई, 2026 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात् वर्ष-2026 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.07.2012 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए।

* ग्रुप-1 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम आयु 01.07.2026 को 16 वर्ष होनी चाहिए।

(2) स्वास्थ्य :

प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमवार उपयुक्तता अनुरूप स्वास्थ्य मानकों को पूर्ण करना होगा।

- (1) प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (2) प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होना चाहिए।
- (3) ग्रुप-1 (एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम) के तीनों पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु अभ्यर्थी को वर्णान्धता (**colour blindness**) एवं किसी भी शारीरिक अक्षमता से मुक्त होना आवश्यक है। अतः स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रारूप के मुख्य पृष्ठ पर एम0बी0बी0एस0 डाक्टर से फिजिकल फिटनेस का सत्यापन तथा प्रमाण-पत्र प्रारूप के पृष्ठ भाग में **Eye sight (colour vision)** हेतु एम0बी0बी0एस0 नेत्र सर्जन की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर चिकित्सक की पंजीयन संख्या एवं नाम की मोहर लगी हो।

(4) डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी फॉर दिव्यांगजन, उ0प्र0, कानपुर में माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों में अस्थि अथवा श्रवण विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

(3) दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु विशेष सुविधाएं :

दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान "डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी फॉर दिव्यांगजन, उ0प्र0, कानपुर" में स्थापित है। इस संस्थान में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्थान में दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, छात्रावास में आवासरत 150 छात्र एवं छात्राओं को रु0 1000.00 प्रतिवर्ष फूड सब्सिडी अनुमन्य है तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म भी प्रदान की जाती है। पात्र अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 5% क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% दिव्यांग है, प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

6. शिक्षण शुल्क :

राजकीय संस्थाओं हेतु शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप तथा अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं का शुल्क प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0 के अधीन होगा।

आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान होने की दशा में अधिक शुल्क वापस लेने की प्रक्रिया

ऐसा देखा गया है कि एप्लीकेशन फार्म की प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन शुल्क जमा करने के दौरान कतिपय कारणों यथा- नेट कनेक्टिविटी बाधित होना/बैंक सर्वर से पुष्टि न हो पाने इत्यादि के कारण अभ्यर्थी के खाते से पैसे कट जाते हैं, परन्तु एप्लीकेशन फार्म में यह धनराशि प्रदर्शित नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की प्रक्रिया दो बार करते हैं। इस प्रकार उन्हें निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान करना पड़ता है।

इस समस्या के निदान हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि आवेदन की अन्तिम तिथि में दो दिन से अधिक का समय है तो वह दो-तीन कार्य दिवसों तक प्रतीक्षा करें एवं प्रतिदिन पोर्टल पर लॉगिन करते हुए आवेदन शुल्क आने की जांच करते रहें।

यदि आवश्यक हो तो आवेदन शुल्क का पुनः भुगतान कर सकते हैं एवं अपनी बैंक के हेल्पलाईन नम्बर पर असफल भुगतान का विवरण यथा- ट्रांजेक्शन नम्बर, तिथि इत्यादि अंकित कराते हुए उनसे "भुगतान के विरुद्ध सेवा प्राप्त न होने" की श्रेणी में शिकायत दर्ज किये जाने का अनुरोध करें। कृपया ध्यान रखें कि यह शिकायत "एक से अधिक बार भुगतान" की श्रेणी में न करें।

7- आवेदन :

1. उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)–2026 हेतु आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन भरे जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन सम्भव नहीं होगा।
2. अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अपने फोन पर भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित Sandes App को **Android** उपयोगकर्ता **Google Play store** तथा **iOS** उपयोगकर्ता **App Store** से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आवेदन, परीक्षा एवं सीट आवंटन काउन्सिलिंग की समस्त जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर की गई ई–मेल एवं फोन नम्बर पर भी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी।
3. अभ्यर्थी वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें।
4. ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को एक मोबाइल नम्बर व ईमेल आईडी0 की आवश्यकता होगी। कृपया उपरोक्त मोबाइल नम्बर व ईमेल आईडी0 की निरन्तरता को काउन्सिलिंग की समाप्ति तक सुनिश्चित करें। इस मोबाइल नम्बर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां **SMS** से भेजी जाती रहेंगी तथा सभी ओ0टी0पी0 इसी मोबाइल नम्बर पर भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन पासवर्ड भूलने की दशा में भी मोबाइल नम्बर व ईमेल की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी0 को समय–समय पर देखते रहें, जिससे वह महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित न रहे।
5. आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित ग्रुप की अर्हतायें वह पूरी करते हैं। किसी भी दशा में आवेदन–पत्र के लिए जमा किया गया शुल्क न वापस किया जायेगा न ही हस्तान्तरित किया जायेगा।
6. आनलाइन आवेदन के समय आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु अभ्यर्थी के लॉगिन में **Grievance** दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी भ्रम अथवा कठिनाई की दशा में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से अपनी समस्या अंकित करेगा, जिसका निराकरण परिषद द्वारा यथाशीघ्र किया जायेगा। यह समाधान अभ्यर्थी के लॉगिन में ही परिलक्षित हो जायेगा।
7. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अन्तिम तिथि के पूर्व ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरे जायेंगे तथा संगत शुल्क जमा किया गया होगा, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।
8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं (वर्ग, उप वर्ग व शैक्षणिक अर्हता) का सत्यापन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, जिसे काउन्सिलिंग अथवा प्रवेश के समय, दी गई सूचनाओं के सुसंगत प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की दशा में उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। अतः आवेदन–पत्र में सूचना भरने से पूर्व अभ्यर्थी उनकी सत्यता सुनिश्चित कर लें।
9. आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्मतिथि उनके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अभिलेखों के अनुसार होना आवश्यक है।
10. आवेदन करने के समय कतिपय कारणों से भरी गई सूचनाएं त्रुटिपूर्ण रह जाती हैं, इसलिए आवेदन–पत्र को अन्तिम रूप देने से पहले सावधानीपूर्वक भरी गई सूचनाओं की जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि बाद में परिलक्षित होती है तो ऐसी दशा में आवेदन

करने की अन्तिम तिथि के पश्चात पोर्टल को त्रुटि सुधार हेतु खोला जायेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी आवेदन-पत्र की त्रुटियों का सुधार कर सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। कृपया वेबसाइट व समाचार-पत्र में समय-समय पर जारी निर्देशों से अवगत होते रहें।

11. अभ्यर्थियों को भरे गये आवेदन-पत्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भरे गये आवेदन-पत्र की हार्ड कापी अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें।
12. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 के पत्राचार का पता निम्नवत् है :-
 सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,
 1, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बाँसमण्डी चौराहा,
 चारबाग, लखनऊ, पिन-226001
13. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय में परीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निम्न फोन नम्बर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :- 0522-2630106, 2630667, 2630695, 2636589 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल jeecuphelp@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

8- आरक्षण :

काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तनीय है।

1-प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं (विशिष्ट संस्थाओं को छोड़कर) में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत् सूचनीय है:-

क्र0सं0 जिनके लिए आरक्षित हैं

आरक्षित स्थान

(1) अनुसूचित जाति (S.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21%
(2) अनुसूचित जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2%
(3) अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27%
(4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 10%
2. उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा एवं क्षैतिज आरक्षणों में मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।	
(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2%
(2) उ0प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ0प्र0 में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को।	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5%
(3) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5%
(4) महिला अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20%

नोट :

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक) के माध्यम से प्रवेश देने वाली संस्थाओं में अभ्यर्थियों को सीटों का आरक्षण शासन में सुसंगत शासनादेश के अधीन होगा, जो शासन द्वारा परिवर्तनीय है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग होने का प्रमाण पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/सीट आवंटन/चयन निरस्त समझा जायेगा। आवेदन-पत्र में अभिलिखित श्रेणी एवं उप श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
3. यदि प्रवेश हेतु सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में घोषित अन्तिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. विमुक्त जातियों को प्रवेश हेतु आरक्षण मान्य नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में उनका दावा मान्य नहीं है।

9- अति महत्वपूर्ण निर्देश :

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

- (i) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा आगामी सत्र के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल जनवरी माह में प्रारम्भ करा दिया जायेगा। वर्ष-2026 में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 के मध्य पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण, वर्ग, उपवर्ग, पाठ्यक्रम ग्रुप, केन्द्र के लिए चयनित जनपद आदि समस्त विवरण ऑनलाइन पंजीकृत कराने होंगे। वर्ष-2026 में 105 दिनों का समय (दिनांक 15.01.2026 से 30.04.2026 तक) प्रदान कराया जा रहा है।
- (iii) अभ्यर्थी की आयु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एवं प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में सत्र के प्रारम्भ अर्थात् 01 जुलाई को) 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, के अनुरूप होगी। प्रत्येक ग्रुप/पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश/विनियमावली के अधीन होगी।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रू० 200/- एवं शेष हेतु रू० 300/-) को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(2) प्रवेश-पत्र :

प्रवेश-पत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थी को पोर्टल <https://jeecup.admissions.nic.in> पर अपने आधार नम्बर की प्रविष्टि कराते हुए प्रवेश-पत्र को डाउनलोड किया जा सकेगा।

(3) **प्रवेश परीक्षा केन्द्र :**

अभ्यर्थी को चार परीक्षा जनपद चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा। परीक्षार्थी उन चार जनपदों के नाम वरीयताक्रम में चुनें जहाँ से वे परीक्षा देना चाहते हैं। सभी पाठ्यक्रम गुणों (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K एवं L) हेतु परीक्षा केन्द्र सामान्यतया बड़े शहरों में होंगे। परिषद को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने हेतु प्रदेश के जनपदों में कोई भी जनपद/परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है। परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम गुण कोड—A, B, C, D, E, F, G, H, I, K एवं L के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तो अभ्यर्थी तीनों समूहों हेतु समान/निकटस्थ परीक्षा जनपदों का चयन करें, जिससे परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने में अधिक समय न लगे। यदि अलग-अलग समूहों हेतु यदि अलग-अलग परीक्षा केन्द्र आवंटित होते हैं तो परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस हेतु परिषद किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) **परीक्षार्थियों के लिए निर्देश—**

ऑनलाइन परीक्षा : पाठ्यक्रम गुण— A, B, C, D, E, F, G, H, I, K एवं L की परीक्षा ऑनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित करायी जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2:30 घण्टे होगी। प्रवेश परीक्षा में (Objective Type) बहु-विकल्पीय (Multiple Choice Question) प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 04 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे, उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक ही होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न में 04 विकल्प होंगे, यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 02 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 04 अंक दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में/पुनः हल करना हो, उन्हें चिन्हित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के 02 दिन पूर्व से ही मॉक टेस्ट की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से भली-भाँति अवगत हो सके।

(1) **समय—** परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंच कर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे तदपश्चात् परीक्षा केन्द्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में शीघ्र पहुंचना चाहिये तथा अपने अनुक्रमांक हेतु निर्धारित कम्प्यूटर पर लॉगिन आईडी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन की कार्यवाही ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) **लेखन सामग्री—** परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले/नीले बाल पेन के अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री न लाये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो सके, ऐसी सामग्री का अभ्यर्थी के पास पाया जाना अनुचित साधन माना जायेगा। लॉग टेबिल, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर/मोबाइल/कम्युनिकेशन उपकरण परीक्षा कक्ष में लाना पूर्णतः वर्जित है।

(3) प्रवेश-पत्र-परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र एवं आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र अवश्य लायें, जिससे परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केन्द्र अधीक्षक व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश-पत्र परीक्षा कक्ष में जाने से वंचित कर दिया जायेगा।

(5) मूल्यांकन एवं निगेटिव मार्किंग:-

- (1) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे।
- (2) उत्तर के चारों विकल्पों में केवल एक उत्तर (विकल्प) सही होगा।
- (3) प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी निगेटिव अंक नहीं दिया जायेगा।
- (4) यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 02 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 04 अंक दिये जायेंगे।

(6) प्रश्न, उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गये विकल्पों पर आपत्तियाँ प्राप्त करना :

परीक्षाफल एवं योग्यताक्रम सूची जारी होने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्रश्न, उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गये विकल्पों पर पोर्टल के माध्यम से आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी। इस हेतु अभ्यर्थी को रू0 100/- जमा करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों/चुने गये विकल्पों में भिन्नता हेतु आपत्तियाँ दर्ज करायी जायेगी। अभ्यर्थी का दावा सही पाये जाने पर रू0 100/- उसे वापस करते हुए त्रुटि का सुधार कर दिया जायेगा। दावा गलत पाये जाने की दशा में रू0 100/- जब्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल :

(अ) नार्मलाईजेशन : अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के दृष्टिगत एक ही गुप के लिए प्रवेश परीक्षा को विभिन्न पालियों में कराये जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पाली हेतु अलग प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न-पत्रों को तैयार करने की प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि समस्त प्रश्न-पत्रों में दिये गये प्रश्नों का स्तर एक समान हो, परन्तु ऐसा कर पाना किसी भी दशा में सम्भव नहीं हो सकता है। इस समस्या के निवारण के लिए सभी परीक्षा एजेन्सियों द्वारा विभिन्न पालियों में होने वाली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नार्मलाईजेशन करते हुए अन्तिम अंक प्रदान किये जाते हैं। उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक)-2026 में भी यह प्रक्रिया अपनायी जाती है। एक गुप की परीक्षा को एक से अधिक पालियों में कराये जाने की दशा में निम्नानुसार नार्मलाईज किया जाता है :-

Normalization mark of j^{th} candidate in the i^{th} session \bar{M}_{ij} is given by -

$$\bar{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

Where -

M_{ij} : is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th} session

\bar{M}_t^g : is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g : is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering a sessions

\bar{M}_{ti} : is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} : is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session.

(ब) योग्यताक्रम सूची :

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध पालीटेक्निकों में चल रहे पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों को नार्मलाईज करने के उपरान्त अन्तिम अंकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जायेगी।

(स) परीक्षाफल की घोषणा :

परीक्षाफल घोषित होने की सूचना समाचार-पत्र/पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर उपलब्ध होगा।

(8) संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन :

किसी भी ग्रुप से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को NIC के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सीट मैट्रिक्स के आधार पर सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए ये प्रशिक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मैरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये गये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है, यदि ऐसा नहीं है तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा दिये गये समस्त विकल्प समाप्त न हो जाये। तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जबतक की समस्त अभ्यर्थियों की सूची/सीटें समाप्त न हो जाये।

(9) काउन्सिलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया—

- (i) काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आईडी0 एवं पासवर्ड द्वारा पोर्टल <https://jeecup.admissions.nic.in> पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा।
- (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों में भी प्रवेश काउन्सिलिंग के माध्यम से ही होगा। प्रवेश का अन्य कोई माध्यम मान्य नहीं होगा।
- (iii) काउन्सिलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे।
- (iv) सत्र-2026 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगी।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों (Working Professional) के लिए प्रवेश हेतु नीति

पाठ्यक्रम का नाम — तीन वर्षीय (अंशकालीन) डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम (वर्किंग प्रोफेशनल हेतु)

पाठ्यक्रम — लेटरल इन्ट्री में लागू पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की अवधि — 03 वर्ष

पाठ्यक्रम की संख्या — प्रति संस्थान अधिकतम 03 पाठ्यक्रम

प्रवेश क्षमता प्रति पाठ्यक्रम — 30 (AICTE मानकानुसार)

पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या— प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक तिहाई संख्या में प्रवेश अनिवार्य होगा।

अर्हता :

- (i) शैक्षिक अर्हता : तीन वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता यथा हाईस्कूल/आई0टी0आई0 (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण
- (ii) अनुभव : कम से कम 01 वर्ष का औद्योगिक अनुभव

प्रवेश के लिए पात्रता :

केन्द्र/राज्य सरकार के उद्योगों, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं एम0एस0एम0ई0 पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से 50 कि0मी0 त्रिज्या में स्थित हो।

मेरिट का निर्धारण :

हाईस्कूल/समकक्ष – प्रथम श्रेणी – 50 अंक

द्वितीय श्रेणी – 40 अंक

तृतीय श्रेणी – 30 अंक

इण्टरमीडिएट/आई0टी0आई0 – 10 अंक

अनुभव : 01 वर्ष से अधिक 02 वर्ष से कम – 10 अंक

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 30 अंक

अधिकतम अंक – 100

प्रवेश प्रक्रिया

- 1— प्रदेश के समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में उद्योगों केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/ एम0एस0एम0ई0 में पंजीकृत, उद्योगों के ऐसे कार्मिकों/कामगारों (Working Professional) को जो पूर्णकालिक रूप से कम से कम 01 वर्ष से उद्योग में कार्यरत हो तथा ए0आई0सी0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों/शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हो, के लिए प्रवेश मेरिट के आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। ये सीटे अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगी, जिनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जायेगा तथा कक्षायें अतिरिक्त समय (सायं काल एवं साप्ताहिक अवकाश/अवकाश) में संचालित की जायेगी।
- 2— आगामी शैक्षिक सत्र 2026–27 से सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विज्ञापन, माह अप्रैल में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित कराया जायेगा।
- 3— प्रवेश हेतु आवेदन पत्र माह मई में सम्बन्धित संस्था द्वारा आमन्त्रित किये जायेगें तथा संस्था द्वारा इसकी विज्ञप्ति निःशुल्क दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
- 4— सम्बन्धित संस्था द्वारा जून माह में प्रवेश समिति का गठन किया जायेगा, जो प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के सम्बन्धित प्रतिष्ठान को सूचित किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि 15 अगस्त होगी।
- 5— राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में उपर्युक्त पाठ्यक्रम स्व वित्तपोषित आधार पर चलाया जायेगा।
- 6— पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

- 7- पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/ शासनादे 1 व न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण होने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा।
- 8- प्रवेश हेतु समय-समय पर ए0आई0सी0टी0ई0 प्रोसेस हैण्डबुक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

(10) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र :

आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु प्रमाण-पत्र संख्या-1 से 8A एवं 8B पर दर्शाये गये प्रमाण-पत्रों के उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे, वे उस वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन-पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें, जब वे वाँछित प्रमाण-पत्र रखते हों एवं काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत कर सकें।

नोट : एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (ग्रुप-I) में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अपनी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

प्रमाण-पत्र संख्या - 1(O.B.C.)

(कार्मिक अनु0-2 के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टी.सी.-का-2/2014,
दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्रीनिवासी
ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रमाण-पत्र संख्या – 2(S.C./S.T.)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री
श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील.....
नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं,
जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान
(अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप
में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम :.....
तहसील.....नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर.....
दिनांक : पूरा नाम.....
मुहर : पदनाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट,यदि कोई हो/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

प्रमाण-पत्र सं0-3(F.F.)

(शासनादेश संख्या : 5/2015/18/1/2008-का-2/2015, दिनांक 21अप्रैल, 2015)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर.....जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक
रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है औरश्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....
पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा
अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी (सील)

प्रमाण-पत्र संख्या 4-(M.P.)

सैनिक आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें रिजर्व बार्डर सिक्क्यूरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस सम्मिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षत हो गये हैं, अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण-पत्र जो कि सेवारत/भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत/भूतपूर्व सैनिक/पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं। श्री.....(सैनिक का नाम) यूनिट में.....पद पर दिनांक.....से.....तक कार्यरत थे/हैं। पैरा मिलिट्री.....की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....
तिथि.....

ओ.सी. के हस्ताक्षर.....
पद.....
सील

प्रमाण-पत्र संख्या- 5

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

नोट :- 1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिनके पिता उत्तर प्रदेश के किसी केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हों।

2. यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष (हेड आफ दि आफिस) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) के पिता श्री.....केन्द्रीय सरकार के कार्यालय.....में.....पद पर कार्यरत हैं। यह कार्यालय उत्तर प्रदेश के.....जनपद में स्थित है।

दिनांक:
स्थान:

हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय का नाम तथा पूरा पता

प्रमाण-पत्र संख्या- 6

उत्तर प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....
.....निवासी गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ शासित
क्षेत्र.....की.....जाति/जनजाति का/की है, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके पिता/माता श्री/श्रीमती.....
निवासी.....गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ शासित
क्षेत्र.....दिये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है
और.....जाति/जनजाति के हैं जिसे.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम).....द्वारा आपके पत्र या.....
दिनांक.....के अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र :

दिनांक :

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर :

पद

मुहर

प्रमाण-पत्र संख्या- 7

कार्यालय जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी जनपद

सामान्य निवास प्रमाण-पत्र (केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

कार्यालय उपजिलाधिकारी जनपद
तहसीलदार श्री की आख्या दिनांक
के एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पति श्री

निवासी मकान नम्बर

ग्राम/मोहल्ला

थाना जनपद

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।

व उनका वर्तमान पता

..... है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा कराई गई सूचना तथा इनसे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

नोट :- उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इन पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचरार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी

.....

कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II,
दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार

प्रमाण-पत्र संख्या -8A

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा

पोस्ट आफिस थाना तहसील

जिला राज्य पिन कोड

के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का पलैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति

के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II,
दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार

प्रमाण-पत्र संख्या -8B

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा-पत्र

स्वयं घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट आफिस
थाना ब्लाक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु0 (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :-
 - I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट :-जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान

दिनांक

आर्थिक वर्ग से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी., दिनांक 14 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण की पात्रता रखते हैं, उनके द्वारा आनलाइन आवेदन के समय चयनित कैटेगरी (वर्ग) "GENERAL EWS" का विकल्प भरेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ही आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि काउन्सिलिंग के समय उसे प्रस्तुत कर सकें।

"GENERAL EWS" आरक्षण श्रेणी की पात्रता हेतु शर्तें

1. अभ्यर्थी ऐसी जाति से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु0 8.00 लाख (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है :-
 - 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
 - अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

आर्थिक वर्ग से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी., दिनांक 14 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण की पात्रता रखते हैं, उनके द्वारा आनलाइन आवेदन के समय चयनित कैटेगरी (वर्ग) "GENERAL EWS" का विकल्प भरेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ही आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि काउन्सिलिंग के समय उसे प्रस्तुत कर सकें।

"GENERAL EWS" आरक्षण श्रेणी की पात्रता हेतु शर्तें

1. अभ्यर्थी ऐसी जाति से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू० 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है :-
 - 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
 - अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश (डिप्लोमा सेक्टर)

रेलवे, पी.डब्लू.डी., आवास विकास, रियल स्टेट, आटोमोबाइल उद्योग, एन.टी.पी.सी., बी.एच.ई.एल., बी.एस. एन.एल., टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उद्योग, फर्टिलाइजर, पावर हाउसेज, कपड़ा उद्योग, डिजाइन कन्सलटेन्सी, परिधान निर्माण उद्योग, ब्यूटी हेल्थकेयर के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग में सेवायोजन एवं रोजगार के अलावा उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर ।

बालिका प्रोत्साहन

'सक्षम बालिका समृद्ध परिवार योजना'

शैक्षिक सत्र 2015-16 से राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बालिकाओं को धनराशि रु10,000.00 का प्रोत्साहन ।



डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता हेतु प्रभावी कदम

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

1, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बाँसमंडी चौराहा, लखनऊ - 226001

दूरभाष- 0522-2630106, 2630667, 2636589, 2630695

वेबसाइट : www.jeecup.admissions.nic.in